Essay II (A)
Paper - II

केन्द्र - राज्य संबंध
(Centre-State Relations)

* परिचय/भूमिका
* केन्द्र-राज्य विधायी संबंध
* केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंध
* केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध
* निष्कर्ष

भूमिका :- संघवाद (Federalism) अमेरिकी प्रतिस्पर्धी संघवाद के विपरीत भारतीय संविधान संघवाद को स्वीकार करता है जिसमें संघ शक्तिशाली होता है पर राज्य कमजोर नहीं होते हैं एवं दोनों परस्पर एक दूसरे की पूरक होती हैं। इस दृष्टि से भारतीय संघवाद, अमेरिकी संघवाद के समान क्वासी संघवाद के ज्यादा निकट है। अतः भारतीय संघवाद विद्वान तथा ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विचारक सहयोगी संघवाद की उपाधि देते हैं।

भारतीय संघीय मॉडल के अन्तर्गत केन्द्र-राज्य संबंधों के स्वरूप को निम्नलिखित शक्तियों के विभाजन एवं राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हैं। शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से केन्द्र-राज्य संबंधों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है —

① **केन्द्र राज्य विधायी संबंध** : केन्द्र राज्य विधायी संबंध को सातवीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर आधारित है -

* **संघ सूची** : इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। सूची में कुल 97 विषय हैं। प्रमुख हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध-संधि, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, वायु मार्ग, डाक, तार, संचार, मुद्रा, बैंक, बीमा इत्यादि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार का होता है।

* **राज्य सूची** : इस सूची में स्थानीय महत्व के विषय हैं। इस सूची में मूलतः 66 विषय थे किन्तु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस सूची से 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए जाने से वर्तमान में 61 विषय शेष हैं। इनमें प्रमुख विषय हैं- सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, बाजार, कृषि, मत्स्यपालन आदि। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है।

* **समवर्ती सूची (Concurrent List)** : इस सूची में राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इस सूची में मूलतः 47 विषय थे किन्तु 42वें संविधान

Ajanta Oxford

Scanned with CamScanner

संशोधन द्वारा राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किये जाने से विषयों की संख्या 52 हो गई है। इनमें प्रमुख हैं - आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बिजली, श्रमिक कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, समाचार पत्र, पुस्तक, प्रेस आदि।

इन विषयों पर राज्यों एवं संसद दोनों को विधान बनाने का अधिकार है। किंतु यदि राज्य विधान व संसदीय विधि में टकराव होता है तो संसदीय विधि प्रभावी होगी, यदि उस विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो तो राज्य में राज्य विधि ही प्रवर्तित रहेगी।

(2) केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंध

संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। केन्द्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक संबंधों का संयोजन सबसे कठिन कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों पर सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण के अधिकार हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासनिक अधिकार उन विषयों पर सीमित है जिन पर राज्य विधानमंडलों को विधायन का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः प्रशासनिक अधिकार राज्यों में निहित हैं किंतु इन विषयों पर राज्यों की प्रशासनिक शक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में संघ के प्रशासनिक शक्ति के अधीन है जहाँ संसद द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है। जो उपबन्ध हैं -

* संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्यों का यह दायित्व है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो तथा केन्द्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
* संविधान के अन्तर्गत केन्द्र राज्यों को निम्नलिखित मामलों में निर्देश दे सकता है -
  - (i) संचार के साधनों को बनाये रखने एवं उनका रख-रखाव करें।
  - (ii) रेल्वे संपत्ति की रक्षा करें।
  - (iii) प्राथमिक शिक्षा के आधार पर अल्पसंख्यक बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें।
  - (iv) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनायें बनायें और उनका क्रियान्वयन करें।
* राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों को संघ सूची में वर्णित विषयों से संबंधित कोई कार्य सौंप सकता है।
* संविधान में यह प्रावधान है कि केन्द्र-राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कार्यों का आदर करें और

Scanned with CamScanner

देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिये गये अंतिम निर्णयों को लागू करे।

* संविधान संघ तथा राज्यों की पृथक लोक सेवाओं के अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन सेवाओं को चलाने का अधिकार संघ को है। इन सेवाओं के अधिकारी राज्यों के उच्च पदों पर आसीन होते हैं लेकिन यह भी राज्यों पर नियंत्रण का साधन बनता है।

* राज्यपाल का पद भी राज्यों पर केन्द्रीय नियंत्रण की अभिव्यक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ राज्य में केन्द्र का एजेंट भी होता है।

* भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी अन्तर्राज्यीय नदी के पानी का प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर अपना निर्णय दे सकती है।

* संविधान राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है (अनुच्छेद 263) कि वह केन्द्र-राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जाँच एवं बहस के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद का गठन 1990 में किया गया था।

* राज्यों पर केन्द्र के प्रशासनिक नियंत्रण का सबसे बड़ा उपकरण अनुच्छेद 365 है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य सरकार केन्द्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य में संवैधानिक ढाँचा विफल हो गया है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जायेगा।

(2) केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध

संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 265 से 293 तक केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों का निरूपण है। संघीय व्यवस्था में विधायी तथा प्रशासनिक शक्तियों के साथ-साथ वित्तीय साधनों का स्पष्ट एवं इकाइयों में स्पष्ट एवं संतोषजनक विभाजन भी संघवाद की अनिवार्य शर्त है। संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण इस प्रकार किया गया है —

(i) करारोपण शक्ति तथा कर आगमों का विभाजन

(ii) सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु अनुदान।

(iii) ऋण लेने संबंधी प्रावधान

(iv) पारस्परिक कर विमुक्ति

(v) वित्तीय आपात में वित्तीय संबंध

(vi) संघ एवं राज्यों के खाते का लेखा परीक्षण।

Scanned with CamScanner

निष्कर्ष: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में केन्द्र-राज्य संबंधों के अध्ययन विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को राज्यों पर नियंत्रण की स्थिति प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली है। इस संबंध में एम.वी. पायली का कहना है कि, "वर्तमान स्थिति में राज्यों के पास सीमित साधन हैं और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केन्द्र की सहायता की आवश्यकता रहती है इसलिए उन्हें केन्द्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है। कभी-कभी केन्द्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है।

—— x ——

GIRISHESH SINGH, Asst. Professor
Deptt: Pol. Sc.
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Class - Deg II (H), Paper - III
Topics: Centre-State Relations
Date:

Scanned with CamScanner